

NHB (ND)/R&PFD/HFC/CIRC-03/2020-21
September 10, 2020



All Eligible Housing Finance Companies

Madam / Dear Sir,

**Amendment in Timeline for submission of Quarterly Certificate on Adverse Balance
Refinance Circular No. 03/2020-21**

This is with reference to NHB Circular No. CIRC-02/2019-20 dated December 9, 2019 on Adverse Balance Certificate, wherein HFCs were advised to submit the return (NHB-HFC-10) on adverse balance certificate on quarterly basis. Further, an amendment in the Certificate of Adverse Balance was issued vide circular No. CIRC-01/2020-21 dated July 20, 2020.

2. The Bank has reviewed and revised the timeline for submission of quarterly adverse balance certificate and the remittance of the adverse balance amount, **from 7 calendar days to 15 calendar days after the close of the quarter**. HFCs are advised to intimate NHB about the remittance of the adverse balance amount at least 2 days prior to the day of remittance.
3. Other stipulations as mentioned in the earlier circulars remain unchanged.
4. The excel formats of the revised adverse balance returns are uploaded on NHB's website. HFCs are advised to strictly adhere to the same and submit the stipulated returns within the prescribed timeline.

Yours faithfully,


Vishal Goyal

General Manager

Refinance & Project Finance Department



भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फ़ैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India

Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003

Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030

Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”

रा.आ.बैंक (नदि)/आरएंडपीएफडी/आ.वि.क./परिपत्र-03/2020-21

10 सितंबर, 2020

सभी पात्र आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

प्रतिकूल शेष पर तिमाही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु समयसीमा में संशोधन

पुनर्वित्त परिपत्र सं 03/2020-21

कृपया प्रतिकूल शेष प्रमाण-पत्र पर दिनांक 09 दिसंबर, 2019 के रा.आ.बैंक के परिपत्र सं. परि-02/2019-20 का संदर्भ लें, जिसमें आ.वि.कं. को सूचित किया था कि तिमाही आधार पर प्रतिकूल शेष प्रमाण-पत्र पर विवरणी (रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-10) प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, दिनांक 20 जुलाई, 2020 को परिपत्र सं. परि-01/2020-21 के माध्यम से प्रतिकूल शेष के प्रमाण-पत्र में संशोधन जारी किया गया था।

2. बैंक ने तिमाही प्रतिकूल शेष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और प्रतिकूल शेष राशि के विप्रेषण हेतु समय-सीमा की समीक्षा एवं संशोधन कर इसको तिमाही के समाप्ति के पश्चात 7 कैलेंडर दिवसों से 15 कैलेंडर दिवसों तक कर दिया है। आ.वि.क को सूचित किया गया है कि विप्रेषण के दिन से कम से कम 2 दिन पूर्व प्रतिकूल शेष राशि के विप्रेषण के संबंध में रा.आ.बैंक को सूचित करें।

3. पूर्व परिपत्रों में उल्लिखित अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. संशोधित प्रतिकूल शेष विवरणियों के एक्सेल प्रारूप को रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आ.वि.क को सूचित किया जाता है कि उक्त का पूरी तरह से पालन करें तथा नियत समय-सीमा के भीतर निर्धारित विवरणियां प्रस्तुत करने का कष्ट करें।



विशाल गोयेल

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग